............शाखा
भू. नि.
मु.व सं. .... वृत्त
02/12

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 - 2512840 ई - मेल apccf-lm.cgfa gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–890A/ २८०६ दिनांक 1C /11/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State, area- 2.963 ha.**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 123989/ 2021

संदर्भः– 1. मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग का पत्र क्रमांक/तक अधि / 7713 दिनांक 23.10.2021
2. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल का पत्र क्रमांक/2317 दिनांक 18 10 2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपारा–मोहला, अंबागढ़–मोगरा, मोगरा–काफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डोंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गों से समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन कमियां पाई गई हैं:–

ऑन लाईन कमियां

1. Coloum No. K <u>Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted</u>

   (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

   वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव ध्यान रखें कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों में कलेक्ट कार्या द्वारा वन अधिकार पत्र एवं राजस्व वन भूमि की एन.ओ.सी प्राप्त हो गया है तो आनलाईन Form A Part-I के कालम न. K पर आवेदक संस्थान द्वारा अपलोड कराकर अपडेट कराया जाता है। अपलोड करावें।

2. Form A Part-II के कालम न. 16 में अपलोड भाग–2 पर हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं हैं। सुधार कर पुनः अपलोड करें।

3. चेक लिस्ट के बिन्दु कमांक–4 में गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है का लेख किया गया है। परन्तु आनलाईन फार्म ए के बिन्दु कमांक A-I(IX) में गैर वन भूमि – 13.178 का उल्लेख है एवं फार्म ए के बिन्दु कमांक A-D(i) में अपलोड (<u>Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined</u>) 322.822 कि.मी. (जिसमें 59.260 कि.मी वन क्षेत्र है) आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है लेख किया गया है। प्रकरण में गैर वन भूमि सम्मिलित है यह स्पष्ट होता है। गैर वन भूमि का पूर्ण विवरण गॉववार/खसरावार प्रस्ताव के चेक लिस्ट के बिन्दु कमांक–4 में साथ संलग्न करें।

4. छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007/10–2(पार्ट) दिनांक 13.10.2021 जो कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/331–29/2691 दिनांक 27.10.2021 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों को लेख किया गया है। छ.ग. शासन के निर्देशानुसार अनुसार डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट सत्यापित कर प्रस्ताव के साथ सलग्न एव अपलोड करें।

5. एफ.एम.आई.एस. द्वारा प्रकरण में प्रदर्शित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस. के एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

6. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार / तकनीकी अधिकारी से कराया जाव इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

ऑफ लाईन कमियां

1. चेक लिस्ट क्रमांक – 4 : गैर वन क्षेत्र का विवरण में लेख किया गया है कि 322.822 कि.मी सड़क के किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केवल बिछाने के कार्य में गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है जबकि आनलाईन Form-A, Part-I के B-2.1 में गैर वन भूमि 13.178 हे. दर्शाया गया है – स्थिति स्पष्ट करें अथवा गैर वन भूमि रकबा 13.178 हे. का विवरण संलग्न करें।
2. चेक लिस्ट क्रमांक – 11 : भाग–2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है जिसे अंकित करें।

उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्न
1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे 3 प्रतियों मे

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/ 115–890A/ 2807   रायपुर, दिनांक 16/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः
1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (स.द.), रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ

[illegible] / 8770   दुर्ग दिनांक 03.12.2021
प्रतिलिपि [illegible] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible] कमियां पूर्ति कर प्रस्ताव [illegible]
संलग्न : [illegible]

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ)
3/12/21